रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)- 73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1980/कार्तिक 10, 1902
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1980/KARTIKA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1980

सा०का०नि० 1130.—संविदा (संशोधन सं० 67) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 585, तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

1. भाग 4 में, "शिक्षा मंत्रालय के मामले में" शीर्षक के अधीन, मद घ में, "अवर सचिव, भारत सरकार" शब्दों के पश्चात्, "संबन्धित सहायक शिक्षा सलाहकार" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।

2. भाग 6 में, "वित्त मंत्रालय के मामले में," शीर्षक के अधीन, मद क में आर्थिक कार्य विभाग के मामले में, पैरा 10 में, "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त" शब्दों के पश्चात्, "और अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकारी कर्मचारी) स्कीम, 1974 के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।

3. भाग 11 में, "सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मामले में" शीर्षक के अधीन, आकाशवाणी से संबन्धित मद संख्यांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

"1-क आकाशवाणी के सिविल सन्निर्माण पक्ष के मामले में:—

(i) सामग्री, भंडार, मशीनरी आदि के क्रय, प्रदाय और प्रवहण या वहन से संबन्धित सभी लिखतें;

(ii) भवन, सड़क बंध से सम्बद्ध सभी प्रकार के संकर्मों के सम्पादन से सम्बन्धित सभी लिखतें और जल संकर्म, मलवहन संकर्म के सन्निर्माण तथा मशीनरी के परिनिर्माण से संबन्धित सभी लिखतें;

(iii) नीलामकर्ताओं के बंधपत्र और संकर्म के सम्यक् सम्पादन और पूर्ण करने के लिए प्रतिभूति बंधपत्र, और;

(iv) ऐसे सरकारी सेवकों द्वारा, जिन्हें नियुक्त करने की मुख्य इंजीनियर, अपर मुख्य इंजीनियर, अधीक्षण इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर और सहायक इंजीनियर की शक्ति है; उनके कर्तव्यों के अनुपालन के लिए प्रतिभूति बंधपत्र;

(v) गृह, भूमि और अन्य स्थावर संपत्ति के पट्टे, परन्तु यह तब जब कि आरक्षित किराया 5000 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है; या

(iv) प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्ति के पुनः अभिहस्तान्तरण पत्र से संबन्धित सभी लिखतें मुख्य इंजीनियर, अपर मुख्य इंजीनियर और अधीक्षण इंजीनियरों द्वारा।"

4. भाग 14 में, "श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय के मामले में" शीर्षक के अधीन पुनर्वास विभाग से संबन्धित मद ख में, पैरा 14 में, दण्डकारण्य परियोजना के मामले में, विद्यमान प्रविष्टि (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(xiv) उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को दण्डकारण्य परियोजना की विभिन्न आस्तियों और संस्था के अन्तरण से संबन्धित सभी; मुख्य-प्रशासक, उपमुख्य प्रशासक या ज्येष्ठ कार्यपालक अधिकारी (पी) द्वारा।"

5. भाग 18 में, "रेल मंत्रालय के मामले में" शीर्षक के अधीन, मद सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,

10
nation would be 45 years (50 years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Candidates).
(c) At least five years service in Group 'D' would be essential.
(d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year; unfilled vacancies would not be carried over.

1	2	3	4	5	6	7
4. Peon	1	General Central Service Group D (non-gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	From 18 to 25 years	Middle School Standard.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	Direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[File No. A-12018/1/79-Regions]

MRS. NEELAM NATH, Dy. Director of Estates

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

सा० का० नि० 1149 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी, नई दिल्ली के श्रोता अनुसंधान एकक में सार्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (i)—इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, नई दिल्ली (सार्टर) भर्ती नियम, 1980 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।"

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सार्टर	22*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ"	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*टिप्पण :—कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : सम्बद्ध स्टेशन/केन्द्र के ऐसे चपरासियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है।	केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष श्रोता अनुसंधान अधिकारी—सदस्य एक बाह्य व्यक्ति (जो एस सी/एस टी गी द्वारा स्थानीय रूप से सम्बद्ध किया जाए)—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० 12019/1/78-बी(ए)]
आर० डी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th September, 1980

G.S.R. 1149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sorter in the Audience Research Unit of the All India Radio, New Delhi under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio, New Delhi (Sorter) Recruitment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 3 to 5 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns 6 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person ;

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sorter	*22 *Note: Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group D	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion : From amongst peons with atleast 3 years regular service in the grade in the Station/Kendra concerned.	Station Director —Chairman Audience Research Officer—Member One outsider – Member. to be associated locally by Station Dir. TV Centre —Member.	Not applicable

[No. 12019/1/78-B(A)]
R.D. JOSHI, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1980

सा० का० नि० 1150.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने डाक-तार (डाकघर निरीक्षक), रेल सेवा निरीक्षक तथा निरीक्षक (वर्दियां) भर्ती नियम 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को डाक-तार (डाकघर निरीक्षक), रेल डाक सेवा निरीक्षक और निरीक्षक (वर्दियां) भर्ती नियम, 1980 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक-तार (डाकघर निरीक्षक), रेल डाक सेवा निरीक्षक और निरीक्षक (वर्दियां) भर्ती नियम, 1977 में—

(1) क्रम संख्या 1 के सामने

(क) कालम 8 में मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता"

(ख) कालम 12 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात :—

"डाकघरों (डाक मंडल कार्यालयों सहित), सर्किल कार्यालयों, विदेश डाक, पुनः प्रेषण कार्यालयों, स्वतंत्र डाक वस्तु भंडारों तथा सर्किल कार्यालय बचत बैंक नियंत्रण संगठन और आन्तरिक जांच संगठन में क्लर्क (निम्न चयन पदक्रम क्लर्कों सहित) या डाक मंडल या सर्किल कार्यालयों में स्टेनोग्राफरों के बतौर काम कर रहे स्थायी अथवा स्थायीवत कर्मचारी और नीचे नोट 6 के साथ पढ़े जाने वाले नोट 2 की शर्तों के अनुसार जिनकी :—

(i) क्लर्क और/अथवा स्टेनोग्राफर पदक्रम में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा से कम सेवा न हो;

(ii) मार्शकिंग चलाने की योग्यता; और

(iii) सेवा का संतोषजनक रिकार्ड हो"

(ग) कालम 13 में मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1. पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नामित निदेशक, डाक सेवाएं अथवा यदि वहां ऐसा कोई अधिकारी नहीं है तो स्वयं पोस्टमास्टर जनरल।

2. पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नामित डाक/रेल डाक सेवा शाखा का एक ग्रुप "ए" अधिकारी। बेहतर होगा यदि वह पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नामित किया गया निदेशक डाक सेवाएं हों।

3. दूरसंचार शाखा का ग्रुप "ए" अधिकारी

टिप्पणी : यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय से कोई सदस्य नहीं है तो पोस्टमास्टर जनरल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से एक उपयुक्त स्तर के अधिकारी को नामित कर सकता है।